

राजस्थान युवा बोर्ड

(युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार)
सवाई मानसिंह स्टेडियम, प्रथम तल, जयपुर टैलीफोन 0141-2741489

क्रमांक: प. 1(81)रायुबो/2017

जयपुर, दिनांक 25.07.2018

अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या 02/2018-19

राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा "सोशल मीडिया प्रबन्धन" का कार्य हेतु दक्ष, प्रतिष्ठित व अनुभवी फर्मों से अल्पकालीन निविदा सूचना दिनांक 01.08.2018 को सायं 5.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। संबंधित पूर्ण विवरण राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर की वेबसाइट www.rssc.in या राजस्थान युवा बोर्ड की वेबसाइट www.rajasthanyouthboard.com लोक उपायन पोर्टल <http://sppp.raj.nic.in> पर देखा जा सकता है।



सदस्य सचिव

राजस्थान युवा बोर्ड

(युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार)
सवाई मानसिंह स्टेडियम, प्रथम तल, जयपुर- टेलीफैक्स 0141-2741489

अल्पकालीन –निविदा

राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा

“सोशल मीडिया प्रबन्धन” का कार्य हेतु

राजस्थान युवा बोर्ड

(युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार)
सवाई मानसिंह स्टेडियम, प्रथम तल, जयपुर- टेलीफैक्स 0141-2741489

क्रमांक: प. 1(81)रायुबो/2017

जयपुर, दिनांक

अल्पकालीन-निविदा सूचना संख्या 02/2018

राजस्थान युवा बोर्ड, जयपुर की ओर से इवेंट मैनेजमेंट की दक्ष, प्रतिष्ठित व अनुभावी फर्मों से निम्न कार्यों के लिए निर्धारित प्रपत्र में ई- प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया द्वारा ऑन लाईन अल्पकालीन-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। संबंधित पूर्ण विवरण राजस्थान युवा बोर्ड, जयपुर की वेबसाईट www.rajasthanyouthboard.com, www.rssc.in लोक उपापन पार्टल <http://sppp.raj.nic.in> पर देखा जा सकता है।

निविदा के कार्य का नाम	सोशल मीडिया प्रबन्धन का कार्य।
अनुमानित लागत	5,00,000 /- रुपये
निविदा आवेदन डाउनलोड करने की दिनांक	26.07.2018 सायं 2.00 बजे से
निविदा अपलोड कराने की अंतिम दिनांक	01.08.2018 सायं 5.00 बजे तक
तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक	02.08.2018 सायं 2.00 बजे
कार्य की अवधि	निविदा जारी होने की तिथि से 6 माह तक वैद्य

क्र.सं.	निविदा का विवरण	राशि	भुगतान का प्रकार	जमा का दिनांक	देय
1.	निविदा शुल्क	1000 /-रु0	डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैकर चैक	डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैकर चैक दिनांक 01.08.2018 तक राजस्थान युवा बोर्ड कार्यालय में अपराहं 2.00 बजे तक जमा करावे।	सदस्य सचिव, राजस्थान युवा बोर्ड, जयपुर
2.	धरोहर राशि	अनुमानित लागत का 2% (10,000 /-)	डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैकर चैक निर्धारित प्रपत्र में	डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैकर चैक दिनांक 01.08.2018 तक राजस्थान युवा बोर्ड कार्यालय में अपराहं 2.00 बजे तक जमा करावे।	सदस्य सचिव, राजस्थान युवा बोर्ड, जयपुर

सदस्य सचिव

नोट:—

1. बोलीदाता को किये जाने वाली कार्य, मूल्यांकन, योग्यता, मापण्ड, अनुबन्धक की शर्तें, कार्य की शर्तें राजस्थान युवा बोर्ड की वेबसाइट www.rajasthanyouthboard.com, www.rssc.in व पब्लिक प्रोक्चोरमेंट पोर्टल <http://sppp.rajasthan.gov.in> व से डाउनलोड किया जा सकता है।
2. राजस्थान युवा बोर्ड सफल बोली स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और कोई कारण बताए बिना किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार कर सकते है।
3. बोलीदाताओं उनकी जी.एस.टी. कर पंजीयन और स्थायी खाता आयकर की संख्या (पैन) का सबूत प्रस्तुत करना होगा।
4. सफल निविदा दाता फर्म को राज्य सरकार से बजट की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर भुगतान किया जावेगा।

कार्य किये जाने की प्रस्तावना, उद्देश एवं विजन

प्रस्तावना:—

राजस्थान युवा बोर्ड के विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं, गतिविधियों को अधिक प्रभावी रूप से अधिक से अधिक युवाओं को लाभान्वित करने हेतु आधुनिकता के अनुसार सोशल मीडिया (यू-ट्यूब, ऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वेबसाइट का लिंक पेज) आदि में प्रचार-प्रसार किया जाना प्रस्तावित है, जिससे युवाओं में विभिन्न कार्यक्रमों की सामाजिक जनचेतना जाग्रत हो सकें।

उद्देश्य :-

1. राज्य की आधुनिक युवा पीढ़ी को विभिन्न योजनाओं की अधिक से अधिक सुविधाजनक जानकारी प्राप्त हो।
2. राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों अधिक से अधिक युवा लाभान्वित हो।
3. विभिन्न सफल युवाओं के प्रेरणादायक संदेश/विडियों के माध्यम से युवाओं में सकारात्मक/सर्जनात्मक सोच हेतु।
4. युवाओं के नवाचार/सफलता की कहानियों से अन्य युवाओं को प्रभावित करना।
5. सोशल मीडिया के माध्यम से राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा संचालित युवाओं के उत्थान एवं जन कल्याणकारी योजनाओं विशेषकर प्लेगशिप योजनाओं की जानकारी देना।
6. युवा वर्ग में सामाजिक कार्य में स्वयंसेवको की भावना एवं नेतृत्व भावना जागृत करना।
7. युवाओं में अपनी परम्परागत एवं ग्रामीण कलाओं को प्रचारित कर स्वावलम्बन बनाना।

“आंमत्रित संस्था का अपेक्षित मुख्य योग्यता”

तकनीकी योग्यता

1. सोशल मीडिया प्रबन्धन (यू-ट्यूब, ऐप, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, वेबसाइट) का कार्य का अच्छा अनुभव एवं ज्ञान होना चाहिए।
2. यू ट्यूब विडियो हेतु ऑडियो-विजुअल बनाने का कुशल तकनीकी अनुभव।
3. फर्म को कम्प्यूटर विज्ञान एवं सॉफ्टयर बनाने का अनुभव हो।
4. सोशल मीडिया प्रबन्धन को आधुनिकता के अनुसार क्रियात्मक अनुभव।
5. संस्था/फर्म का पंजीयन भारत सरकार/राजस्थान सरकार/राजकीय अनुमादित संस्थान का होना आवश्यक है, जो संस्थाओं को उद्देश्य लाभप्रद नहीं हो उनको प्राथमिता दी जायेगी। प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है।
6. फर्म व संस्था के कर्मचारियों युवा विकास गतिविधिया के साथ कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
7. फर्म/संस्था की कर्मचारियों का सोशल मीडिया में पहुँच(आउटरिच) लगभग 10 हजार व्यक्तियों के साथ होना चाहिए।

गैर तकनीकी योग्यता

1. गत तीन वर्ष का र्टन ओवर न्यूनतम 20 लाख रूपये औसत का होना चाहिए! जिसकी प्रति सलंगन करे ।
2. पूर्व में राज्य सरकार के साथ इस प्रकार सोशल मीडिया प्रबन्धन का कार्य किया को प्राथमिकता दी जाएगी ।
3. सोशल मीडिया प्रबन्धन का अनुभव होना चाहिए ।

“आमंत्रित संस्था का अपेक्षित मुख्य कार्य”

(Scope of Work)

1. राजस्थान युवा बोर्ड की संचालित वेबसाइट पर लिंग पेज सोशल मिडिया से यूट्यूब चैनल का लिंक करना।
2. यूथ आइकॉन स्कीम का अधिक प्रचार –प्रसार करने हेतु व युवाओं के व्यक्तित्व, नेतृत्व के विकास हेतु निम्न विडियो बनाकर उनको सोशल मीडिया (यूट्यूब चैनल) के द्वारा अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार करना।
3. निम्न लिखित कार्य एवं संचालन/ अपलोड 2 माह तक करना :-

क्र. सं.	विवरण	प्रवृत्ति	समय
1	युवाओं के सफलता की कहानिया Youth Achievers Stories प्रेरणादायक लघु विडियो Inspiring Youth Achievers For Motivation For Other Youth	1- प्रतिमाह 2- प्रतिमाह	4-5 मिनट 2 मिनट
2	प्रतिष्ठित व उत्कृष्ट युवाओं के वीडियो Celebrity videos	1- प्रतिमाह	7-8 मिनट
3	राजस्थान युवा बोर्ड की विभिन्न कार्यक्रमों व गतिविधियों का प्रचार –प्रसार	2- 3 प्रतिमाह	2 मिनट
4	सोशल मीडिया प्रबंधन– फेसबुक, ट्यूटर में <ul style="list-style-type: none"> ● राज्य की विभिन्न महत्वपूर्ण युवा गतिविधिया ● आने वाले विभिन्न प्रोग्राम के संबंध में ● विभिन्न सफल युवाओं की कहानिया ● विभिन्न युवाओं के पुरस्कार संबंधित गतिविधिया व जानकारी 	प्रतिमाह	कार्यक्रमों के अनुसार
	1 माह का	7 विडियो	

4. फेसबुक, ट्विटर में प्रतिदिन फेसबुक बनाकर विभिन्न योजनाओं, फोटो, समाचार पत्र की कटिंग, विडियो आदि अपलोड का कार्य।
5. युवाओं का प्रेरणादायक विचारों का अपलोड करना।
6. राज्य की विभिन्न महत्वपूर्ण युवा गतिविधिया एवं आने वाले विभिन्न प्रोग्राम के संबंध में क्रियात्मक सन्देश फेसबुक, वेबसाइट, यु-ट्यूब पर अपलोड करने बाबत।
7. विभिन्न युवाओं के पुरस्कार संबंधित गतिविधिया व जानकारी संबंधी लघु फिल्म
8. फेसबुक या यूट्यूब में विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी लगभग 1 लाख व्यक्तियों तक संचार होना चाहिए।
9. यूथ आइकॉन कार्यक्रम के लिए प्रति माह 4 युवा टॉक-शो जिसमें लगभग 500 युवा की सहभागीता एवं 10 ख्याति प्राप्त स्पीकर होना चाहिए।

TECHNICAL प्रपत्र

1. बोलीदाता का नाम....प्रपत्र.....
2. डाक का पता
3. टेलिफोन नं. (कार्यालय).....
(निवासी)
4. अमानत राशि का विवरण :- डी.डी./बैंकर्स चेक, बैंकदि.
राशि
5. TIN No.
PAN No.
GST Registration No.
1. Details of Technical Team.
2. Experiace as required in the RFP.....

बिड सूचना संख्या 02/2018-19
संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची

क्र.सं.	विवरण	बिड दाता द्वारा भरा जाना है
1	फर्म/संस्था/बिडदाता का नाम	
2	फर्म/संस्था/बिडदाता का अधिकृत पता	
3	फर्म/संस्था/बिडदाता के अधिकृत व्यक्ति का नाम	
4	मोबाईल नं.	
5	फर्म/संस्था/बिड दाता का पैन कार्ड नं.	प्रति संलग्न करे।
6	फर्म/संस्था/बिड दाता के बैंक खाते का विवरण	
	बैंक का नाम	
	शाखा का नाम	
	खाता संख्या	
	आई.एफ.एस.सी. कोर्ड नं.	
7	फर्म/संस्था/बिड दाता के पंजीयन का विवरण	प्रति संलग्न करे।
8	विगत में इस प्रकार के किए गए कार्य का विवरण	
9	निविदा प्रपत्र मय शर्तों के हस्ताक्षर कर संलग्न किया।	
10	बोली के साथ अमानत राशि चैक/बैंक ड्राफ्ट संलग्न है।	प्रति संलग्न करे।
11	बिक्री कर/वैट/सर्विस ट्रैक्स पंजीयन प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न की गई।	प्रति संलग्न करे।
12	अनुभव प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न की गई।	प्रति संलग्न करे।
13	अन्य प्रपत्र विगत तीन वर्षों में न्यूनतम तीस लाख औसत का प्रतिवर्ष टर्न ओवर (सी.ए.) सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न करे।	

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय सील

FINANCIAL BID

वित्तीय बिड सोशल मीडिया कार्यक्रम दो माह में किये जाने वाले कार्य की सूचना निम्न प्रकार है

:-

क्र. सं.	विवरण	Name of Item	प्रस्तुत दर की गणना का प्रकार	दर प्रति (अंको/शब्दों में)	कुल राशि (अंको/शब्दों में)												
1	आधुनिकता के अनुसार सोशल मीडिया (यू-ट्यूब, ऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वेबसाइट का लिंग पेज) आदि में प्रचार-प्रसार किया जाना प्रस्तावित है	<ol style="list-style-type: none"> राजस्थान युवा बोर्ड की संचालित वेबसाइट पर लिंग पेज सोशल मिडिया से यू-ट्यूब चैनल का लिंक करना। यूथ आइकॉन स्कीम का अधिक प्रचार-प्रसार करने हेतु व युवाओं के व्यक्तित्व, नेतृत्व के विकास हेतु निम्न विडियो बनाकर उनको सोशल मीडिया (यूट्यूब चैनल) के द्वारा अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करना:- निम्न लिखित कार्य एवं संचालन/अपलोड 2 माह तक करना :- 															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th> <th>विवरण</th> <th>प्रवृत्ति</th> <th>समय</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>युवाओं के सफलता की कहानिया Youth Achievers Stories प्ररेणादायक लघु विडियो Inspiring Youth Achievers For Motivation For Other Youth</td> <td>1- प्रतिमाह 2- प्रतिमाह</td> <td>4-5 मिनट 2 मिनट</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>प्रतिष्ठित व उत्कृष्ट युवाओं के</td> <td>1- प्रतिमाह</td> <td>7-8 मिनट</td> </tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	विवरण	प्रवृत्ति	समय	1	युवाओं के सफलता की कहानिया Youth Achievers Stories प्ररेणादायक लघु विडियो Inspiring Youth Achievers For Motivation For Other Youth	1- प्रतिमाह 2- प्रतिमाह	4-5 मिनट 2 मिनट	2	प्रतिष्ठित व उत्कृष्ट युवाओं के	1- प्रतिमाह	7-8 मिनट			
क्र. सं.	विवरण	प्रवृत्ति	समय														
1	युवाओं के सफलता की कहानिया Youth Achievers Stories प्ररेणादायक लघु विडियो Inspiring Youth Achievers For Motivation For Other Youth	1- प्रतिमाह 2- प्रतिमाह	4-5 मिनट 2 मिनट														
2	प्रतिष्ठित व उत्कृष्ट युवाओं के	1- प्रतिमाह	7-8 मिनट														

			वीडियों Celebrity videos					
			3 राजस्थान युवा बोर्ड की विभिन्न कार्यक्रमों व गतिविधियों का प्रचार -प्रसार	2- 3 प्रतिमाह	2 मिनट			
			4 सोशल मीडिया प्रबंधन- फेसबुक, ट्यूटर में <ul style="list-style-type: none"> ● राज्य की विभिन्न महत्वपूर्ण युवा गतिविधि या ● आने वाले विभिन्न प्रोग्राम के संबंध में ● विभिन्न सफल युवाओं की कहानिया ● विभिन्न युवाओं के पुरस्कार संबंधित गतिविधि या व जानकारी 	प्रतिमाह	कार्यक्रमों के अनुसार			
			1 माह का	7 वीडियों				

		<p>4. फेसबुक, ट्विटर में प्रतिदिन फेसबुक बनाकर विभिन्न योजनाओं, फोटो, समाचार पत्र की कटिंग, विडियो आदि अपलोड का कार्य।</p> <p>5. युवाओं का प्रेरणादायक विचारों का अपलोड करना।</p> <p>6. राज्य की विभिन्न महत्वपूर्ण युवा गतिविधिया एवं आने वाले विभिन्न प्रोग्राम के संबंध में क्रियात्मक सन्देश फेसबुक, वेबसाइट, यु-ट्यूब पर अपलोड करने बाबत।</p> <p>7. विभिन्न युवाओं के पुरस्कार संबंधित गतिविधिया व जानकारी संबंधी लघु फिल्म एवं विडियो इत्यादि।</p> <p>8. फेसबुक या यूट्यूब में विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी लगभग 1 लाख व्यक्तियों तक संचार होना चाहिए।</p> <p>9. यूथ आइकॉन कार्यक्रम के लिए प्रति माह 4 युवा टॉक-शो जिसमें लगभग 500 युवा की सहभागीता एवं 10 ख्याति प्राप्त स्पीकर होना चाहिए।</p>			
कुल योग राशि (जी.एस.टी. एवं समस्त कर सहित)					
अधिकतम निविदा राशि तक					

नोट:-

1. न्यूनतम बोलीदाता का निर्धारण समस्त कार्य हेतु ही दी गई राशि के योग के आधार पर किया जावेगा जो कि निविदा राशि अधिक नहीं होगी।
2. निर्धारित अनुमानित राशि से अधिक देय नहीं होगा।
3. उपरोक्त कार्य के अनुसार अलग-अलग दरे प्रस्तुत करनी होगी।
4. शेष बची हुई सामग्री/सामान राजस्थान युवा बोर्ड कार्यालय में जमा करानी होगी।
5. उपरोक्त दिये गये कार्य में से जो कार्य नहीं किये जायेगे, उसका भुगतान देय नहीं होगा।
6. निविदा राशि का भुगतान कार्य के अनुसार प्रति माह किया जायेगा।

मैं/हम इस अल्पकालीन -निविदा की समस्त शर्तों से आबद्ध होना स्वीकार करते हैं। करार निष्पादित करने की सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर
बोलीदाता/अधिकृत प्रतिनिधि
(मय सील)

निविदा की शर्तें

टिप्पणी:— निविदाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी दरें भेजते समय इन्हे पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए।

1. निविदाताओं को बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार तकनीकी एवं वित्तीय बिड अलग-अलग प्रस्तुत की जानी है।
2. व्यक्ति/संस्था/फर्म द्वारा प्रस्तुत बोलियों पर क्रय समिति/निविदा समिति द्वारा विचार किया जावेगा। इस संबंध में गठित समिति का निर्णय अंतिम होगा।
3. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम 42 के तहत बिड के साथ अनुमानित लागत की दो प्रतिशत बिड प्रतिभूति राशि (सविदाता को अमानत राशि) रूपये 10,000 /—रूपये/— बैंकर्स चैक, बैंक ड्राफ्ट, सदस्य सचिव, राजस्थान युवा बोर्ड, जयपुर के नाम बोली पत्र के साथ जमा करानी होगी। अन्यथा बोली पर विचार नहीं किया जायेगा। बिड प्रतिभूति राशि पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जारी करने वाले बैंक की जयपुर में कम से कम एक शाखा होनी चाहिये। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक बोली खोलने की तारीख से तीन महिने की अवधि (90 दिन) के लिए वैध होना चाहिये। बिड कर्ता के लिए अपने प्रस्ताव को वापस लेने/नियम और शर्तों में संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि बिड कर्ता द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों का पालन नहीं किया जाता है या उल्लेखित दरों पर कार्य करने से मना किया जाता है तो उपरोक्त राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जावेगी।
4. बोलीदाता द्वारा दरें उचित स्थान पर अंको एवं शब्दों दोनों में लिखनी चाहिए। दरे पृथक-पृथक अंकित की जानी चाहिए। बोली प्रपत्र स्याही या टंकण से भरा जावेगा। किसी भी कांट-छांट पर बोलीदाता को पूर्ण हस्ताक्षर करने होंगे।
5. न्यूनतम संविदाता की दर निर्धारण के लिए संविदाता द्वारा फार्म में अंकित कुल राशि को आधार माना जावेगा। जिसके आधार पर Lowest का निर्धारण होगा।
6. निविदा उनके खोले जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि तक के लिये विधिमान्य होगी।
7. निविदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिये नहीं सौपेगा या उप भाडे पर नहीं होगी।
8. निविदाता का/उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
9. बोलीदाता की फर्म का न्यूनतम टर्न ओवर 20.00 लाख रूपये औसत तीन वर्षों का संनदी लेखाकार ऑडिट लेखे प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।
10. धरोहर राशि:—
 - (क) निविदा के साथ (निविदा सूचना के अनुसार)..... /— रूपये धरोहर राशि प्रस्तुत की जायेगी। इसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
 - (ख) असफल निविदाता की प्रतिभूति राशि नियमानुसार लौटा दी जावेगी।
 - (ग) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गई या संविदाओं को पूर्ण हो जाने के कारण राजस्थान युवा बोर्ड कार्यालय के पास पूर्व से जमा राशि धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि के प्रति समायोजित नहीं किया जावेगा।

11. धरोहर राशि का समपहरण:- धरोहर राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृतकर लिया जायेगा:-
- (i) जब निविदाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण करता है।
 - (ii) जब निविदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हो।
 - (iii) जब निविदाता ठेके के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं करात हों।
 - (iv) जब वह विहित समय के भीतर कार्य आदेश के अनुसार कार्य प्रारंभ करने में असफल रहता हो।
12. करार एवं प्रतिभूति निक्षेप:-
- (i) सफल निविदाता को आदेश के प्राप्त होने से तीन दिवस की अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में एक करार पत्र 500/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित कराना होगा तथा जिस कार्य के लिए बोलीयें स्वीकार की गई है, उसके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको बोली के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है, अनुबंध पत्र निष्पादित करने से पूर्व जमा करायी जायेगी।
 - (ii) बोली के समय जमा करायी गयी धरोहर राशि को प्रतिभूति की राशि के लिये समायोजित किया जावेगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में धरोहर राशि से कम की नहीं होगी।
 - (iii) प्रतिभूति की राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जावेगा।
 - (iv) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे:-
 - (क) बैंक ड्राफ्ट/नकद
 - (व) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिमडत निःशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।
 - (iv) प्रतिभूति राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेके को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद, यदि कोई देय बकाया में नहीं है तो लिखित प्रार्थना पत्र देने पर एक माह में लौटा दी जावेगी।
13. प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण:- प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृतकर लिया जायेगा:-
- (i) जब निविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
 - (ii) जब निविदाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक ढंग से करने में असफल हो।
 - (iii) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृतकरने के मामले में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
14. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या अन्य कोई त्रुटि पायी जाने पर बोली को रद्द करने का अधिकारी सचिव, राजस्थान युवा बोर्ड, जयपुर को होगा।
15. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा के शर्तों क उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद के लिए राजस्थान युवा बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा एवं फर्म ठेकेदार को मान्य होगा। तथा निर्णय के विरुद्ध किसी प्रकार की अपील एवं वैधानिक, कानूनी, अन्य कार्यवाही करने का फर्म को कोई अधिकार नहीं होगा।
16. बोलीदाता द्वारा शर्तों के उल्लंघन करने पर अनुपातिक रूप से ठेके की राशि में से कटौती की जावेगी।

17. बोलीदाता द्वारा बोली के साथ फर्म का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण-पत्र व अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न दिय जायेंगे।
18. ठेकेदार को किए जाने वाले समस्त प्रकार के भुगतान में से आयकर की राशि की नियमानुसार कटौती की जावेगी।
19. यदि निविदाता ऐसी कोई शर्त आरोपित करता है तो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप से कार्यवाही कर रद्द कर दिया जावेगा। किसी भी स्थिति में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जायेगा। जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये बोली स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।
20. क्रेता अधिकारी किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर को बोली नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बोली को रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित होगा। जिन कार्यों के लिये बोलीदाता ने बोली दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिये बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को कार्य वितरित करने के अधिकार को अपने पास सुरक्षित रखेगा।

21. परिसमापित नुकसानी :-

- (1) परिसमापित नुकसानी के साथ कार्य अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन कार्य की गतिविधियों के मूल्यां के लिए की जाएगी जिनका बोलीदाता प्रदाय करने में असफल रहा है:-
 - (क) विहित कार्य अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5%
 - (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए 5%
 - (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक के लिए 7.5%
 - (घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक विलम्ब के लिए 10%
 - (2) प्रशिक्षण में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।
 - (3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10% होगी।
 - (4) यदि प्रदायकर्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में परिषद को आवेदन करेगा। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
 - (5) यदि प्रशिक्षण प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।
 - (6) प्रशिक्षण के दौरान यदि प्रशिक्षणार्थी को किसी प्रकार की शारीरिक चोट लगने पर राजस्थान युवा बोर्ड की किसी प्रकार की जिम्मेवादी नहीं होगी, सम्पूर्ण जिम्मेवारी फर्म की होगी।
22. वसूली :- यदि सन्तोषजनक ढंग कार्य नहीं करता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसे देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त कि अन्य कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

23. भुगतान :-

- (क) बोलीदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में लोक उपापन नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा। सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जायेंगे। किसी भी सूरत में अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। भुगतान कार्य के आधार पर विभिन्न स्तरों पर किया जायेगा।
- (ख) विवादास्पद मदों में राशि का 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक को रोका जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जायेगा।
- (ग) उन मामलों में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जायेगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाये तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित निर्देशों के अनुरूप हों।

24. यदि कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप में उन वस्तुओं/सुविधा को बढ़ाना साध्य नहीं समझा जाए तो क्रेता अधिकारी बोलीदाता को सुनवाई किये जाने का एक उचित उवसर देकर ऐसी कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गई कटौती अन्तिम होगी।
25. संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में या अन्य किसी भी प्रकार का विवाद होने पर बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा।
26. समस्त विधिक कार्यवाहियां यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो जयपुर स्थित न्यायालय में ही की जाएगी। अन्यत्र नहीं की जाएगी।
27. जी.एफ.एण्ड ए.आर./लोक उपापन अधिनियम/पारदर्शिता अधिनियम के संगत प्रावधान लागू होंगे।
28. दिवालिया – बोलीदाता के दिवालिया होने की स्थिति में प्रतिष्ठान द्वारा बोली में उल्लिखित किसी भी शर्त का पालन नहीं करने की स्थिति में कार्य दूसरे प्रतिष्ठान से पूर्ण करवाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विभाग बिना किसी सूचना के कार्यादेश निरस्त कर सकता है।
29. कार्य स्थानान्तरण – बोली दाता कार्य या कार्य का कोई भाग किसी अन्य प्रतिष्ठान से सम्पन्न नहीं करवा सकता है।
30. कार्य की स्थिति का पता लगाने का अधिकार – विभाग बोली दाता से किसी भी समय कार्य की प्रगति की जानकारी प्राप्त कर सकता है।
31. सावधानियों – बोली दाता कार्य की गुणवत्ता व समय सीमा के अनुसार कार्य करेगा। बोली दाता यह ध्यान रखेगा कि कार्य या इसका कोई भाग किसी अनाधिकृत व्यक्ति के हाथ में नहीं चला जावे।
32. बोली दाता और उसका प्रतिनिधि विभाग के संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को बोली हेतु किसी भी प्रकार की भेंट, राशि इत्यादि उपलब्ध नहीं करवाएगा। यदि इस प्रकार की कोई गतिविधि पायी गयी तो बोली निरस्त कर दी जावेगी।
33. कानून की पालना – बोली दाता को राज्य में प्रचलित समस्त नियमों/उपनियमों, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इनमें किये गये संशोधनों का पालन करना होगा तथा राज्य में लागू सभी प्रकार के करों को चुकाने की जिम्मेदारी वहन करनी होगी।
34. मध्यस्थता – किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में विवाद का निस्तारण Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules 2013 के अध्याय 7 के अनुसार किया जाएगा।
35. बोली दाता द्वारा उक्त कार्य में नियुक्त कर्मचारियों का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं होना चाहिये। सेवा प्रदाता द्वारा कर्मचारियों के पहचान की सूचना यथा ड्राईविंग लाइसेंस, बैंक खाता विवरण, अनुभव प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र उसका फोटो व चरित्र इत्यादि प्रमाण-पत्र सत्यापन कर उन्हें कार्य में नियुक्त करना चाहिये। विभाग द्वारा यदि किसी कर्मचारी को अनुशासनहीनता/दुराचरण इत्यादि कारणों से अयोग्य करार दिया जाता है तो बोली दाता को उसे कार्य से तत्काल हटाना होगा। बोली दाता उसके कर्मचारियों की समस्त गतिविधियों के लिये जिम्मेदार होगा।
36. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2013 के नियम 72 के तहत बोर्ड को किसी बोली/समस्त बोलियों को स्वीकार करने/बोली प्रक्रिया को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार होगा।
37. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 73 के तहत बोर्ड के पास बिना कारण बताये कार्य की मात्रा में कमी/वृद्धि करने का अधिकार सुरक्षित है। इसके लिये बोली में उल्लिखित दर यथावत प्रभावी रहेगी।
38. निविदा दाताओं की तकनीकी बिड में सफल होने पर वित्तीय बिड खोली जावेगी।
39. फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदा राशि समस्त करों सहित (GST) प्रस्तुत करनी होगी। जो कि अधिकतम जो कि अधिकतम निविदा राशि तक होगी।
40. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 74 के तहत बोली दर समान प्राप्त होने पर उपापन की विषय वस्तु का विभाजन एक से अधिक बोलीदाताओं के मध्य किया जा सकता है।

41. कार्यक्रम के सफल आयोजन का प्रमाण-पत्र गठित समिति के प्रभारी अधिकारी द्वारा संतोषजनक कार्य का प्रमाण-पत्र देने पर भुगतान किया जावेगा।
42. उक्त बिड डॉक्यूमेंट का कोई प्रावधान यदि Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules 2013 से भिन्न पाया जाता है तो Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules 2013 के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
43. बोलीदाता द्वारा उक्त कार्य हेतु रखे गये श्रमिकों को तत्कालीन वर्तमान श्रम दर से भुगतान किया जायेगा। जिसका प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।
44. बोलीदाता द्वारा उक्त हेतु किसी प्रकार की मानव हानि/किसी प्रकार की हानि होने पर बोलीदाता स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
45. कार्य की अवधि:- कार्यक्रम तिथियों में परिवर्तन का पूर्ण अधिकार राजस्थान युवा बोर्ड का होगा।
46. सोशल मीडिया कार्यक्रम के आयोजन हेतु बिडला ऑटोडोरिम या खुल्लें में पाईप पाण्डाल लगाकर जिसमें कम से कम दो हजार युवाओं को बैठने की व्यवस्था हो।
47. निविदा सफल फर्म को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा। कार्यक्रम के सफल आयोजन के बाद संतोषजनक कार्य का प्रमाण-पत्र एवं बिल प्रस्तुत करने पर कार्य के अनुसार प्रति माह भुगतान किया जायेगा, जिसमें अलग अलग कार्य से संबंधित व्यय राशि का भी उल्लेख होगा।
48. निविदा प्राप्तकर्ता फर्म द्वारा कार्यक्रम समाप्ति के बाद अनुपयोगी/शेष स्टेशनरी, सामान, सामग्री राजस्थान युवा बोर्ड के कार्यालय में जमा करानी होगी।
49. न्यूनतम बोलीदाता का निर्धारण समस्त कार्य हेतु ही दी गई राशि के योग के आधार पर किया जावेगा जो कि निविदा राशि अधिक नहीं होगी।
50. सफल निविदा दाता फर्म को राज्य सरकार से बजट की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर भुगतान किया जावेगा।
51. बोलीदाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:-
 - (i) यदि भागीदारी फर्म होतो भागीदारी विलेख की एक अभि प्रमाणित प्रति।
 - (ii) यदि भागीदारी फर्म का रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
 - (iii) एक मात्र व्यक्ति के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन संख्या।
 - (iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र।
 - (v) पेनकार्ड की प्रति
 - (vi) अनुभव प्रमाण-पत्र सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में किये गये कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रति।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
(मय नाम पता एवं मोहर)

बोलीदाता का घोषणा-पत्र
Declaration by the Bidder

(Declaration by the Bidder in compliance of Section 7 & 11 of the Act)

"**SOCIAL MEDIA**" programme in the State of Rajasthan in response to their Request for Proposal No..... Dated we hereby declare under Section 7 and 11 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that;

1. We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Rajasthan Youth Board;
2. We have fulfilled our obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government or the State Government or any local authority, as specified in the Bidding Document;
3. We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have our affairs administered by a court or a judicial officer, not have our business activities suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings (if debarred, enclose details);
5. We do not have a conflict of interest as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, which materially affects fair competition;
6. We have complied and shall continue to comply with the Code of Integrity as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, till completion of all our obligations under the Contract.

Date:

Signature of Bidder

Place:

Name :

Designation:

Address:

POWER OF ATTORNEY
(On Stamp paper of appropriate value)

Know all men by these presents, We.....(name and address of the registered office) do hereby constitute, appoint and authorise Mr / Ms.....
.....(name and residential address) who is presently employed with us and holding the position of as our attorney, to do in our name and on our behalf, all such acts, deeds and things necessary in connection with or incidental to our RFP for selection as service provider for "**SOCIAL MEDIA**" programme in the State of Rajasthan including signing and submission of all documents and providing information/responses to Rajasthan Youth Board in all matters in connection with our Applicant for the said Assignment.

We hereby agree to ratify all acts, deeds and things lawfully done by our said attorney pursuant to this Power of Attorney and that all acts, deeds and things done by our aforesaid attorney shall and shall always be deemed to have been done by us.

Dated this the Day of Accepted

For Name & signature
(Name and designation of the person(s) signing on behalf of the Applicant)

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anticompetitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) Disclose conflict of interest, if any; and
- (h) Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest.-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in the bidding process if, including but not limited to:

- (a) Have controlling partners/shareholders in common; or
- (b) Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- (c) Have the same legal representative for purposes of the bid; or
- (d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or
- (e) The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or
- (f) the bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, Works or services that are the subject of the Bid; or
- (g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted tofor procurement ofin response to their Notice inviting Bids No.....Dated.....I/wehereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entry;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and the state government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Signature of bidder

Place :

Name :

Designation :

Address :

Annexure C :Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Dy.Secretary Youth Affairs & Sports Department Govt. of Rajasthan.The designation and address of the Second Appellate Authority is **Principal Secretary** Youth Affairs & Sports Department Govt. of Rajasthan,Jaipur.

(1) Filing an appeal:-

if any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the rules or the guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate authority, as specified in the Bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, an appeal related to the matter of financial bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the first appellate authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to second appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.

(4) Appeals not to lie in certain cases:-

No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination of need of procurement
- (b) Provisions limiting participation of bidders in the bid process
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations
- (d) Cancellation of a procurement process
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality

(5) Form of Appeals:-

- (a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee,
- (c) Every appeal may be presented to first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing Appeal:-

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a scheduled bank in India payable in the name of appellate authority concerned.

(7) Procedure for disposal of Appeal:-

- (a) The first appellate authority or second appellate authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing
- (b) On the date fixed for hearing, the first appellate authority or second appellate authority, as the case may be shall-
 - (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the state public procurement portal.

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected ; and
- iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, Works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (i) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Grievance Handling Procedure during Procurement Process (Appeals)

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective Bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First or Second Appellate Authority, as the case may be, as may be designated for the purpose, within a period of ten days from the date of such decision, action, or omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful in terms of section 27 of the Act, the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the technical Bid before the opening of the financial Bid, an appeal related to the matter of financial Bid may be filed only by a Bidder whose technical Bid is found to be acceptable.

(2) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

(3) Form of Appeal

- (a) An appeal shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(4) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's Cheque of a Scheduled Bank payable in the name of Appellate Authority concerned.

(5) Procedure for disposal of appeals

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
 - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal Noof

Before the (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

- (i) Name of the appellant:
- (ii) Official address, if any:
- (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

- 1.
- 2.
- 3.

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

.....
.....
..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

.....
.....

Place

Date

Appellant's Signature

Format of Bank Guarantee for Performance Security

(To be issued by a Scheduled Bank in India and properly stamped)

Bank's Name and Address of Issuing Branch

Beneficiary:

The Secretary,
Rajasthan Youth Board,
SMS Stadium, Jaipur-302005
Phone : 91-141-2741489

THIS DEED OF GUARANTEE executed on this the _____ day of _____ at _____ by _____ (Name of the Bank) having its Head/ Registered office at _____ hereinafter referred to as "the Guarantor" which expression shall unless it be repugnant to the subject or context thereof include successors and assigns;

In favour of, The Secretary, Rajasthan Youth Board having its office at SMS Stadium, Jaipur, hereinafter referred to as "Rajasthan Youth Board", which expression shall, unless repugnant to the context or meaning thereof include its administrators, successors or assigns.

WHEREAS,

- A. By the Agreement being entered into between Rajasthan Youth Board and _____, a company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956, having its registered office/ permanent address at _____ hereinafter called the "Service Provider". The Service Provider has been selected to provide services of the State of Rajasthan (herein referred to as "the Assignment").
- B. In terms of the Contract, the Service Provider is required to furnish to Rajasthan Youth Board, an unconditional and irrevocable bank guarantee for an amount of Rs. _____/- (Rupees _____ Only) as security for due and punctual performance/ discharge of its obligations under the Agreement.

At the request of the Service Provider, the Guarantor has agreed to provide guarantee, being these presents guaranteeing the due and punctual performance/discharge by the Service Provider of its obligations under the Agreement.

NOW THEREFORE THIS DEED WITNESSETH AS FOLLOWS:

1. The Guarantor hereby irrevocably guarantees the due and punctual performance by the Service Provider of all its obligations relating to the Assignment during the Agreement Period.
2. The Guarantor shall, without demur, pay to Rajasthan Youth Board sums not exceeding in aggregate Rs. _____/- (Rupees _____ Only), within five (5) calendar days of receipt of a written demand therefor from Rajasthan Youth Board stating that the Service Provider has failed to meet its performance obligations under the Agreement.

The Guarantor shall not go into the veracity of any breach or failure on the part of the Service Provider or validity of demand so made by Rajasthan Youth Board and shall pay the amount specified in the demand notwithstanding any direction to the contrary given or any dispute

whatsoever raised by the Service Provider or any other Person. The Guarantor's obligations hereunder shall subsist until all such demands are duly met and discharged in accordance with the provisions hereof.

3. In order to give effect to this Guarantee, Rajasthan Youth Board shall be entitled to treat the Guarantor as the principal debtor. The obligations of the Guarantor shall not be affected by any variations in the terms and conditions of the Agreement or other documents or by the extension of time for performance granted to the Service Provider or postponement/ non exercise/ delayed exercise of any of its rights by Rajasthan Youth Board or any indulgence shown by Rajasthan Youth Board to the Second Party and the Guarantor shall not be relieved from its obligations under this Guarantee on account of any such variation, extension, postponement, non exercise, delayed exercise of any of its rights by Rajasthan Youth Board or any indulgence shown by Rajasthan Youth Board provided nothing contained herein shall enlarge the Guarantor's obligation hereunder.
4. This Guarantee shall be irrevocable and shall remain in full force and effect until 60 days after fulfilment of all the obligations of the Service Provider under the Agreement, unless discharged/ released earlier by Rajasthan Youth Board in accordance with the provisions of the Agreement. The Guarantor's liability in aggregate to be a sum of Rs. _____/- (Rupees _____ Only).
5. This Guarantee shall not be affected by any change in the constitution or winding up of the Service Provider/ the Guarantor or any absorption, merger or amalgamation of the Service Provider / the Guarantor with any other Person.
6. The Guarantor has power to issue this guarantee and discharge the obligations contemplated herein, and the undersigned is duly authorised to execute this Guarantee pursuant to the power granted under _____.

IN WITNESS WHEREOF THE GUARANTOR HAS SET ITS HANDS HEREUNTO
ON THE DAY, MONTH AND YEAR FIRST HEREINABOVE WRITTEN

SIGNED AND DELIVERED by

_____ Bank and Branch by the hand of Shri
_____ its _____ and authorised official.

(Signature of the Authorised Signatory)

(Official Seal)